झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

संकल्प

सं०–08/गृ०का०आ०(सड़क दुर्घटना)–01/2021– 184 राँची, दिनांक– 13.03.2021

विषयः– झारखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रित/हकदार को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने के निमित्त सड़क दुर्घटना को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित करने के सम्बन्ध में।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–33–5/2015–NDM–I, दिनांक–30.07.2015 द्वारा निर्गत राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के दिशा निर्देश की कंडिका–3 के अनुसार अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) संबंधी निर्गत मद एवं मापदण्ड के तहत आश्रित/हकदार को अनुग्रह अनुदान प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–32–7–2014–NDM–I, दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्गत मद एवं मापदण्ड की कंडिका–13 में इस आशय का उल्लेख है – "State specific disasters within the local context in the State, which are not included in the notified list of disasters eligible for assistance from SDRF/NDRF, can be met from SDRF within the limit of 10% of the annual funds allocation of the SDRF".

3. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–32–7–2014–NDM–I, दिनांक–08.04.2015 एवं पत्रांक–33–5/2015–NDM–I, दिनांक–30.07.2015 द्वारा निर्गत मद एवं मापदण्ड एवं दिशा–निर्देश को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–33–05/2020–NDM–I, दिनांक–09.04.2020 की कंडिका–5 "It has decided to extend the validity of existing guidelines dated 30th July 2015 and norms dated 08th April 2015 as modified on 14th March 2020 and 28th March 2020 of SDRF for a further period of one year or till such time new guidelines/ norms are framed, whichever is earlier" द्वारा विस्तारित की गई है।

4. माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक–15.12.2020 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में निदेश दिया गया है कि "राज्य सरकार द्वारा घोषित स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं की सूची में अल्पवृष्टि से उत्पन्न पेयजल संकट के स्थान पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु को शामिल करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाय"।

5. गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक–33–5/2015–NDM–I, दिनांक–30.07.2015 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश में राज्य की विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत पहुँचाने के लिये राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के वार्षिक कर्णांकित राशि का 10% की सीमा के अन्तर्गत व्यय करने का प्रावधान के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–28.01.2021 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि – (i) राज्य की अधिसूचित विशिष्ट स्थानीय आपदा "अल्पवृष्टि के कारण पेयजल संकट" को विलोपित किया जाय। (ii) राज्य में सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में मृतक के आश्रित/हकदार को 1,00,000/– (एक लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाय। (iii) उक्त दोनों निर्णय पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जाय।

13/03/2021

6. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रित/हकदार को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने के निमित्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(i) राज्य में सड़क दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा घोषित किया जाता है।

(ii) झारखण्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में सड़क दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु (देश के किसी भी राज्य के नागरिक) के लिये मृतक के आश्रित/हकदार को 1,00,000/– (एक लाख) रूपये का अनुग्रह अनुदान राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निम्नलिखित बजट शीर्ष के अन्तर्गत राशि के विकलन की स्वीकृति प्रदान की जायेगी :–

मुख्य शीर्ष	–	2245	–	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
उपमुख्य शीर्ष	–	80	–	सामान्य
लघु शीर्ष	–	102	–	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध
उप शीर्ष	–	01	–	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध
विस्तृत शीर्ष	–	07	–	अन्य व्यय
		59	–	अन्य व्यय

(iii) सड़क दुर्घटना से मृतक के आश्रित/हकदार को 1,00,000/– (एक लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधित जिला उपायुक्त को शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

(iv) उपायुक्त द्वारा अनुग्रह अनुदान का भुगतान पोस्टमार्टम प्रतिवेदन के आधार पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आलोक में मृतक के आश्रित/हकदार के बैंक खाते में DBT/NEFT/RTGS के माध्यम से किया जायेगा।

(v) सड़क दुर्घटना से प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) हेतु भारत सरकार द्वारा वार्षिक कर्णांकित राशि के 10% के अधीन सहायता उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(vi) उक्त अनुग्रह अनुदान सड़क दुर्घटना से वैसे मृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निबंधित है तथा उनके आश्रित को झारखण्ड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना अन्तर्गत लाभान्वित किया गया हो।

(vii) संकल्प संख्या–94, दिनांक–20.01.2016 द्वारा अधिसूचित विशिष्ट स्थानीय आपदा "अल्पवृष्टि के कारण पेयजल संकट" को विलोपित किया जाता है।

7. उपरोक्त कंडिका–6 पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–12.03.2021 की बैठक के मद संख्या–11 में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

13/03/21

(अमिताभ कौशल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 08 / गृ०का०आ०(सड़क दुर्घटना)–01 / 2020–21–......184......., राँची, दिनांक– 13.03.2021

प्रतिलिपिः– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), झारखण्ड, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर इस विभाग को भेजें।

13/03/21

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 08 / गृ०का०आ०(सड़क दुर्घटना)–01 / 2020–21–......184......., राँची, दिनांक– 13.03.2021

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड / सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/21

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 08 / गृ०का०आ०(सड़क दुर्घटना)–01 / 2020–21–......184......., राँची, दिनांक– 13.03.2021

प्रतिलिपिः– अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करने हेतु e-gazette प्रशाखा / state portal पर अपलोड करने हेतु प्रशाखा–12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/21

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 08 / गृ०का०आ०(सड़क दुर्घटना)–01 / 2020–21–......184......., राँची, दिनांक– 13.03.2021

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

13/03/21

सरकार के सचिव।